

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..... मुकाम.....

(SDO) बायतु
को.ड.ली.रा.म.को.रा. बनाम कामाराम वजिर

किस्म मुकदमा 210 डावेदन 111, 128 RUK नं. 143/2022 सन्.....

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
04/04/2022	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री हरीराम</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 19/04/2022 को पेश हो।</p>	
19/04/2022	<p>प्रार्थी वकील उपरिपत्र/विप्रार्थी/वादी के नोटिस पूर्व में जरिम्मे रजिस्ट्रार एडी मिज-वाधे गये जिन्हें एडी प्राप्त नहीं हुई है इन्तज्ज टोडर पत्रावली दिनांक-26/04/2022 को पेश हो/ग</p>	<p>सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला - वाडभेर</p>
26/04/2022	<p>प्रार्थी वकील उपरिपत्र/विप्रार्थी/वादी एडी पुनः प्राप्त नहीं है अतः पीठासीन अधिकारी सरकार में पत्रावली डिए हो मतः मित्राल इल्लवा टोडर अगामी दिनांक 12/05/2022 को पेश हो/ग</p>	<p>सहायक कलक्टर (SDO) बायतु</p>

तारीख हुकम

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अहम
हुकम व.
में जारी

न्यायालय
क्रमांक : वा.प.
...

12/05/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगणों
के मौखिक अडवॉकेट्स डिए 2 माह के अंदर
डा. समम उपस्थित हो चुका है। जिनकी
जोर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय
समम तीन बार मौजज लगाई गई। मौखिक
मौजज 5.45 PM पर लगाई गई। विप्रार्थीगण
स्वयं मा. उ. न. की ओर से कोई अधिवक्ता
उपस्थित नहीं हुआ। लिटिजन/ विप्रार्थीगणों
के अडवॉकेट्स एडवॉकेट्स (S.O.) ममल में लाई
जाली है। मल: वाली बटल पत्रावली दिनांक
27/06/2022 को पैरा 2/3

सहायक कलेक्टर (S.O.)
बायतु
जिला - बाड़मेर

27/06/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल
अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के
अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के
खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों
के खेत की सीमाओं पर पुरानी माडे एवं कणे बने हुए थे जो
वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए हैं जिससे प्रार्थी
एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा
विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की
सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी
आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार
किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का
नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को
कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि
आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के
खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क
जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल
पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो,
दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर (S.O.)
बायतु
जिला - बाड़मेर

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 1122

दिनांक : 27/06/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. कोहलाराम पुत्र सादुलाराम वगैरा 02,
जाति जाट, निवासी कोसरिया,
पटवार मण्डल कोसरिया,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. कानाराम पुत्र मंगनाराम वगैरा 27,
जाति जाट, निवासी कोसरिया,
पटवार मण्डल कोसरिया,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 143 / 2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - कोसरिया, पटवार मण्डल - कोसरिया, तहसील - बायतु, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 203 रकबा 3.0742 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद / 2022 / 1123-27

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का कोसरिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री कोहलाराम पुत्र सादुलाराम वगैरा 02,
4. विप्रार्थी श्री कानाराम पुत्र मंगनाराम वगैरा 27,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

(जगदीश सिंह आशिया)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक 27/06/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु

जिला-बाड़मेर